निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 724) पटना, बुधवार, 26 जून 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2018

सं0 ए0/नोट-2/17-7598/जे0—पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-7197/जे0, दिनांक 26.09.2013 द्वारा लेख्य प्रमाणक नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति हेतु संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार को ''सक्षम प्राधिकार'' अभिहित किया गया है।

इस क्रम में संबंधित संचिकाओं में लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति, अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं निलंबन संबंधी अंतिम आदेश देने का अधिकार, जो पूर्व में माननीय विधि मंत्री, बिहार का था, एतद्द्वारा सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार को प्रत्यायोजित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 724-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in